न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र

(आर.ए.एस.)

/2024

एस : 2024 / 25

तेजिन्द्रसिंह दानेवालिया पुत्र श्री नगिन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति जटसिख साकिन 25 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर, हाल निवासी दानेवाला कोट कपूरा तहसील कोट कपूरा जिला फरीदकोट(पंजाब)।

तेजिन्द्रकौर पुत्री श्री नगिन्द्रसिंह पत्नी श्री हरप्रीतसिंह ढिल्लों जाति जटसिख साकिन 25 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी हाऊस नं. 1566 सेक्टर 33—डी, चण्डीगढ़।(जरिये मुखत्यारे आम तेजिन्द्रसिंह दानेवालिया पुत्र श्री नगिन्द्रसिंह प्रार्थी सं.—1)

नरिन्द्रकौर पुत्री श्री नगिन्द्रसिंह पत्नी श्री प्रतापसिंह जाति जटसिख साकिन 25 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर, हाल निवासी हाऊस नं. सी—7, केन्दीय विहार, सेक्टर 48—ए चण्डीगढ़।(जरिये मुखत्यारे आम तेजिन्द्रसिंह दानेवालिया पुत्र श्री नगिन्द्रसिंह, प्रार्थी सं.—1)

—:प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—:अप्रार्थीगण

तारीख रजू:—07.02.2024

थत:

श्री कृष्णलाल लदोईया अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री राजपेरोकार सरकार अप्राथीगण।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,</u>

दिनांक : 10.03.2025

——निर्णय——

में तथ्य इस प्रकार है कि राजश्री बीकानेर के समय संवत 2002 यानि सन् 1945—46 में प्रार्थीगण के द्वारा सामूहिक रूप से चक 25 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 79 की 25 बीघा बारानी भूमि द की गई थी, जिसमें अरजनसिंह—हरदतसिंह—नरसिंह—भगवानसिंह व अजमेरसिंह पिसरान श्री शेरसिंह 1/3 हिस्सा (एक तिहाई हिस्सा) ब.हि.ब. व गुरबक्शसिंह—ठाणासिंह पिसरान श्री घमण्डासिंह का एक ई हिस्सा, ब.हि.ब. भूमि थी, जो जरिये खेवट संख्या 4 खतौनी संख्या 21 राजस्व अभिलेख में उनके से दर्ज थी तथा संवत 2002 से लगायत् संवत 2011 तक इसी अनुसार दर्ज राजस्व अभिलेखों की ी रही। राजस्व अधिकारियों द्वारा जब जमाबन्दी संवत 2016 ता 2019 खेवट खतौनी सं. 7/39 मुर्तिब गई तो चक 25 पी.एस. के मु.नं. 79 की 25 बीघा बारानी भूमि में सभी मालिकान/साकिनान का हिस्सा ग—अलग हिस्से अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबंदी तैयार की गई। दावां में अंकित जमाबंदी सार हिस्सेदार नरसिंह के 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा का नामान्तरण उनके पुत्रों जगजीतसिंह रह तथा भगवानसिंह के 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा का नामान्तरण उनके पुत्रों हरपालसिंह बगैरह नाम से दर्ज किया गया व गुरबक्शसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह के हिस्सा का नामान्तरण उनके पुत्रों सिंह वगैरह के नाम दर्ज करते हुए प्रार्थीगण के पिता श्री नगिन्द्रसिंह व ताया श्री जोधसिंह के नाम से .ब. 111—1/2 हिस्सा भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गई, जो अंकन जमाबंदी संवत 2020 ता 23, जमाबंदी संवत 2028 ता 2031 तक इसी अनुसार यथावत् दर्ज राजस्व अभिलेख होता रहा। इस धि के दौरान दिनांक 15.121968 को प्रार्थीगण के पिता री नगिन्द्रसिंह का देहान्त हो गया। उनके न्त के बाद प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के नाम की भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत् कई राजस्व अधिकारियों से सर्म्पक किया गया। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण के पिता के नाम भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आश्वासन दिया जाता रहा। उसके बाद दिनांक 11.04.194 प्रार्थीगण की माता प्रीतमकौर का भी देहान्त हो गया, लेकिन प्रश्नांकित/विवादित भूमि राजस्व मिलेखों में प्रार्थीगण के पिता नगि[illegible] होती रही। संवत 2037 ता 46 अर्थात सन् 1980 ता 1990 की अवधि में तहसील[illegible] क्षेत्र में जब भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा जस्व रिकार्ड अपने कब्जा में लिया[illegible] या तो उस समय बन्दोबस्त विभाग अधिकारियों द्वारा चक 25 पी.एस.[illegible] मु.नं. 79 की उक्त 25 बीघा बारानी मि का भू—प्रबन्ध करते समय उक्त[illegible] 25 पी.एस. की चकबन्दी से विलोपित रते हुए दो भिन्न—भिन्न चकों में वि[illegible] मु.नं. 79 के कि.नं. 1 ता [illegible] मि मिलान क्षेत्रफल से नव सर्जित चक 25 पी.एस.बी. का मु[illegible]6 पं.नं. 207/292 कुल कि.[illegible]बा 13 बीघा अर्थात 4.718 है. पुराना मु.नं. 79 के कि.नं. 21 ता 25 की भूमि का मिलान क्षेत्र[illegible]नव र्जित चक 23 पी.एस.ए. का मु.नं. 7 पं.नं. 207/292 कुल कि.नं. 5 रकबा 4.02 बीघा अर्थात 1.037 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:47:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

ायम कर दिया गया। नव सर्जित चक 23 पी.एस.ए. के मु.नं. 7 पं.नं. 207/292 के कि.नं. 21 ता 25 की
037 है. भूमि को आगे प्रश्नांकित/वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों
उक्त प्रश्नांकित 1.037 है. भूमि को साबिका चक 25 पी.एस. की चकबन्दी से विलोपित कर नव सर्जित
क 23 पी.एस.ए. के मु.नं. 7 पं.नं. 207/292 में स्थापित कर दिया लेकिन मजमे आम में पठन के दौरान
क्त रकबा दो चकों में विभक्त हो जाने के कारण रकबा कम होने व प्रार्थीगण के पिता श्री नगिन्द्रसिंह का
हान्त दिनांक 15.12.1968 को हो जाने के तथ्य जानकारी मे आ जाने के बावजूद भी राजस्व अभिलेख
माबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग खाता सं. 5 चक 23 पी.एस.ए. में प्रार्थीगण के पिता नगिन्द्रसिंह सहित अन्य सह
ातेदारान का हिस्सा आनुपातिक स्तर पर कम ना करते हुए व प्रार्थीगण के पिता के नाम की भूमि का
रास्तन इन्तकाल दर्ज ना करते हुए सैटलमेंट से पूर्व की जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार ही पूर्ववत
स्सा समस्त खातेदारान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया गया, जो कि पूर्णतया गलत दर्ज किया
या जबकि भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा नव सर्जित चक 23 पीएसए मे स्थापित की गई
क्त 1.037 है. भूमि का पूर्ववत आनुपातिक हिस्सा अनुसार ही जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता व अन्य
ातेदारान के नाम रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड करना चाहिये था। जो कि नहीं किया गया। भू–प्रबन्ध विभाग
अधिकारियों द्वारा जब पूर्ण भूमि का सैटलमेट किये जाने के बाद रिकार्ड राजस्व तहसील रायसिंहनगर
सुपुर्द किया गया तो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी सैटलमेंट जमाबन्दी के आधार पर जो जमाबन्दी संवत
043 ता 2046 मुर्तिब की गई उसमें भी उक्त गलत हिस्सा का इन्द्राज कर दिया गया तथा उक्त अनुसार
नुसार ही आगामी मुर्तिब की गई चौसाला जमाबन्दी संवत 2047 ता 2049 व 2051 ता 2054 में भी सभी
ातेदारों/हिस्सेदारों का नाम चथावत दर्ज किया जाता रहा। इस अवधि में प्रार्थीगण के पिता श्री
गिन्द्रसिंह के हकीकी भाई व सह खातेदार श्री जोधसिंह का देहान्त हो जाने के कारण प्रार्थीगण व
र्थीगण के ताया श्री जोधसिंह के वारिसान द्वारा जोधसिंह व नगिन्द्रसिंह पिसरान री नारायणसिंह के नाम
संयुक्त खाता की 111–1/2 हिस्सा भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने हेतु
जस्व अधिकारियों से निवेदन किया तो राजस्व अधिकारियों द्वारा जरिये इन्तकाल संख्या 66 जोधसिंह के
5–3/4 हिस्सा भूमि का इन्तकाल उनके वारिसान दिलबागसिह वगैरह संतान श्री जोधसिंह के नाम दर्ज
र तथा इन्तकाल सं. 66 का नोट जमाबन्दी संवत 2051 ता 2054 में अंकित करते हुए शेष हिस्सेदारान के
ब की जमाबन्दी बदस्तूर रख दी गइ। लेकिन प्रार्थीगण के पिता श्री नगिन्द्रसिंह के नाम की भूमि का
ुटिवश विरास्तन इन्तकाल दर्ज नहीं किया गया। जमाबंदी संवत 2051 ता 2054 की अवधि समाप्त होने के
ाद जब जामबन्दी संवत 2055 ता 2058 मुर्तिब की गई तो राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण के पिता के
ाम की भूमि के रिकार्ड का सही अवलोकन ना करते हुए प्रार्थीगण के पिता श्री नगिन्द्रसिंह का नाम
माबन्दी संवत 2055 ता 2058 से विलोपित कर दिया तथा उनके नाम की 55–3/4 हिस्सा भूमि को
बेलानाम छोड़ते हुए शेष हिस्सेदारान का नाम पूर्ववत हिस्से अनुसार ही जमाबन्दी में दर्ज कर दिया
या,जबकि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्द्राज बदलने का उनकों कोई अधिकार नहीं था। इस
कार राजस्व अधिकारियों द्वारा पूर्व जमाबंदी के इन्द्राजात को नही दोहराने के कारण प्रार्थीगण के पिता श्री
गिन्द्रसिंह के नाम की 55–3/4 हिस्सा भूमि जमाबंदी में स्वतन्त्र रूप से पड़ी रही, जो ना तो किसी अन्य
खातेदार के नाम दर्ज की गई और ना ही पटवारी द्वारा जामबंदी में दर्ज हिस्सा की गणना कर भूमि का
हिस्सा पूर्ण किया गया। इस प्रकार जमाबन्दी 2055 में प्रार्थीगण के पिता नगिन्द्रसिंह का नाम विलोपित कर
त्रुटिपूर्ण तैयार की गई उक्त जमाबन्दी के अनुसार ही संवत 2074 तक की लगातार पांच चौसाला
जमाबन्दियां यथावत् तैयार होती रही, लेकिन राजस्व अधिकारियों व पटवारी हल्का द्वारा त्रुटिवश विलोपित
हुए प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाबंदी में दुरूस्ती कर दर्ज नहीं किया गया। संवत 2055 की जमाबंदी में
वादग्रस्त आराजी विलानाम सरकार दर्ज करना कानूनन एवं तथ्यों के विरूद्व होने से यह अंकन शून्य है।
उक्त प्रश्नांकित/वादग्रस्त भूमि के संबंध में अन्य खातेदारान गुरभागसिंह वगैरहा सन्तान श्री जोधसिंह द्वारा
माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद पेश किया गया तो उनके द्वारा प्रार्थीगण को यह जानकरी दिये जाने
पर कि प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाबंदी से विलोपित किया जा चुका है तथा प्रार्थीगण के नाम विरास्तन
इन्तकाल भी दर्ज नहीं किया गया है तब प्रार्थीगण द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर राजस्व का अवलोकन
करने पर राजस्व रिकार्ड में हुई उपरोक्त त्रुटि की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा पटवारी
हल्का व अप्रार्थी से कई बार मिलकर जमाबन्दी में दुरूस्ती कर प्रार्थीगण के पिता का नाम पुनः दर्ज किये
जाने व उनके हिस्सा की 55–3/4 हिस्सा भूमि का हम प्रार्थीगण के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज राजस्व
रिकार्ड किय जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन जमाबन्दी संवत 2055 ता 2074 तक की पांच चौसाला
जमाबन्दीयां जमा रिकार्ड रूम हो जाने के कारण अप्रार्थी द्वारा जमाबन्दी मे दुरूस्ती किये जाने में असमर्थता
जाहिर करते हुए दिनांक 15.01.2024 को श्रीमान् जी के न्यायालय में दुरूस्ती/संशोधन करवाने की
कार्यवाही करने को कहा, इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है
क्योकि राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश विलोपित हुए प्रार्थीगण के पिता का नाम पुनः दर्ज करवाने व विरास्तन
इन्तकाल दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने के प्रार्थीगण विधिक अधिकारी है। उक्त वाद मे अप्रार्थी भूमि मालिक
है तथा उनके द्वारा ही त्रुटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड [illegible] पिता का नाम पुनः
राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना है तथा बाद रिकार्ड दुरूस्ती [illegible] पिता के नाम की भूमि का
प्रार्थीगण के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया [illegible] यक पक्षकार प्रार्थना पत्र
बनाया गया है। प्रश्नांकित भूमि के शेष खाते[illegible] से प्रार्थीगण कोई [illegible] नहीं चाहते है। इसलिए
इनको आवश्यक पक्षकार प्रार्थना पत्र नहीं बना[illegible] भूमि संवत 2002 यानि सन्
1945–46 से प्रार्थीगण के पिता के नाम से चल[illegible] 15.12.1968 को उनके देहान्त के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:47:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

बाद व दिनांक 11.04.1994 को प्रार्थीगण की माता के देहान्त के बाद उक्त भूमि का हम प्रार्थीगण के नाम से विरासतन इन्तकाल दर्ज होना है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा रिकार्ड में दुरूस्ती के लिए अन्तर्गत 136 राज भू–राजस्व अधि. 1956 व विरासतन इन्तकाल दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है जो श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा जानकारी से अन्दर मियाद व उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 23 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 207/292, मु.नं. 7 के कि.नं. 21 ता 25 की 1.037 है. बारानी भूमि की जमाबन्दी खेवट खतौनी संख्या 3/3 संवत 2055 ता 2058 में से प्रार्थीगण के पिता नगिन्द्रसिंह का नाम जो त्रुटिवश विलोपित किया हुआ है को संशोधित किया जाकर पुनः जमाबन्दी संवत 2055 ता 2058 में दर्ज किये जाने व उसी अनुसार वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज करते हुए उनके हिस्सा की भूमि का हम प्रार्थीगण के नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज राजस्व रिकार्ड करने का समुचित आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी राजपेरोकार सरकार की तरफ से नायब तहसीलदार समेजाकोठी ने जवाब दावा पेश किया। जिसमें अंकित किया है कि पटवारी एवं तहसीलदार रायसिहनगर की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती की जावे उचित होगा। इससे सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होगा। उक्त रकबा के संबंध में प्रकरण संख्या 68/2023 गुरभागसिंह आदि बनाम दुष्यतसिंह आदि प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में स्थगन जारी है जो गुरभागसिह आदि की हद तक है, जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 1971 दिनांक 15.05.2024 से उक्त प्रकरण के संदर्भ में मौका जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट अनुसार चक 23 पीएसए की जमाबंदी भू–प्रबन्ध विभाग संवत 2037–46, भू.–राजस्व विभाग संवत् 2043–46, 2047–50, 2051–2054 के अनुसार जोधसिंह नगेन्द्रसिंह पि. नारायणसिंह 111–1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड चला आ रहा था। जमाबंदी संवत् 2051–2054 में ई.सं. 66 को नोट दर्ज है जिसके अनुसार हिस्सेदार जोधसिंह फौत होने पर उनके वारिसान दलबागसिंह, गुरभागसिंह, गुरदिलराजसिंह, जसवीरसिंह, सुखजीतसिंह पि. जोधसिंह व दिलजीतकौर पुत्री जोधसिंह के नाम ब.हि.ब. 55–3/4 हि. जरिये विरासतन नामा. दर्ज किया गया तथा शेष हिस्सा बदस्तूर रखा गया। इस अनुसार नगेन्द्रसिंह का 55–3/4 हि. कायम रहा। परन्तु जमाबंदी संवत 2055–58 तहरीर करते समय नगेन्द्रसिंह नाम विलोपित हो गया। तथा राजस्व रिकार्ड में संवत 2055–58 से लेकर आज तक नगेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह के हिस्से की भूमि का नामान्तरण किसी अन्य के नाम से दर्ज नहीं हुआ है तथा न.ही. जमाबंदी में ऐसी कोई प्रविष्टि अंकित है। वर्तमान चालू जमाबंदी में चक 23 पीएस. ए के खा.सं. 2 में अजमेरसिंह पुत्र शेरसिंह बगैरह जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है। जमाबंदी में नगेन्द्रसिंह का नाम आदिनांक तक विलोपित चला आ रहा है। श्रीमान् जी उक्त रकबा पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का स्थगन दर्ज है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 23 पीएस.ए.तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 207/292, मु.नं. 7 के कि.नं. 21 ता 25 की 1.037 है. बारानी भूमि की जमाबंदी खेवट खतौनी संख्या 3/3 संवत 2055 ता 2058 में से प्रार्थीगण के पिता नगिन्द्रसिंह का नाम, जो त्रुटिवश विलोपित हुआ है को संशोधित किया जाकर पुनः जमाबंदी संवत 2055 ता 2058 में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रार्थीगण के द्वारा विरासतन के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विरासतन इन्तकाल दर्ज किया जावे। उक्त खाता में शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

{... (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर ... सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:47:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

{... (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर।

AnyScanner